झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–55 / 2020

1. मो0 जफर उर्फ मो0 जफर कुरैशी
2. मो0 तनवीर उर्फ मो0 तनवीर कुरैशी
3. मो0 अरशद उर्फ मो0 अरशद कुरैशी .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री जितेश कुमार, अधिवक्ता।
राज्य के लिएः ए0पी0पी0।

<u>आदेश सं0 03</u> <u>दिनांक 18वीं जनवरी, 2020</u>

याचिकाकर्त्ताओं की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्तागण, कंदरा थाना काण्ड संख्या 65 वर्ष 2019 के संबंध में अभियुक्त हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि जानवरों का 200 किलोग्राम मांस कार के अंदर से बरामद किया गया था। ड्राईवर ने खुलासा किया था कि खेप याचिकाकर्त्ताओं की है। याचिकाकर्त्ता 11.12.2019 से हिरासत में हैं।

हिरासत की अवधि के संदर्भ में, याचिकाकर्त्ताओं को 10,000/– (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान अनुमण्डल न्साय दण्डाधिकारी, सरायकेला की संतुष्टि पर, कंदरा थाना काण्ड संख्या 65 वर्ष 2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)